

(भारत के राजपत्र के भाग I, खंड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/44/2008-अ.भा.से.।

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 23 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार की सहमति से श्री डी.के. तिवारी, आईएएस (पी.बी.:1994) की चंडीगढ़ प्रशासन में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति की अनुमोदित अवधि के बाद दिनांक 03.01.2012 से 31.07.2013 तक अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति में बने रहने की अवधि को नियमित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23094142

प्रबंधक,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)